



2026:AHC:67320

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं - 1246 वर्ष 2026

महेंद्र नारायण यादव और 2 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: हरि बंस सिंह, निलय कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री हरि बंस सिंह और श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, अपर राज्य प्रतिपक्षियों के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता

2. निम्नलिखित राहत के लिए प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है: -

"परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिपक्षी अधिकारियों को गांव सरया, परगना-सरेमू, तहसील सदर, जिला जौनपुर में चकबंदी इकाई की समेकन कार्यवाही को रद्द करने का आदेश और निर्देश दिया जाए और आगे उत्तर प्रदेश राजमार्ग अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में उक्त चकबंदी इकाई में नए सिरे से चकबंदी की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन गांव में चकबंदी का काम उचित तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है, इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने अन्य ग्रामीणों के साथ उत्तर प्रदेश होल्डिंग्स अधिनियम, 1953 (इसके बाद "यू.पी.सी.एच. अधिनियम" के प्रावधानों के अनुसार अपनी शिकायत के निवारण के लिए चकबंदी अधिकारियों के समक्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिनिधित्व किया है)। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रश्न में गांव में चकबंदी का काम नए सिरे से शुरू किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2002 में यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 4 के तहत गांव को अधिसूचित किया गया था और याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन दिया है कि चकबंदी का काम नए सिरे से शुरू होना चाहिए जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम के तहत प्रदान किए गए समेकन कार्यान्वयन के दौरान जोत धारक की किसी भी शिकायत का निवारण किया जा सकता है, इस प्रकार, चकबंदी प्राधिकरणों के समक्ष दायर अभ्यावेदन या इस न्यायालय के समक्ष परमादेश की रिट पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 2002 में यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के माध्यम से प्रश्नगत गांव को चकबंदी अभियान के तहत लाया गया था।

7. विवाद को समझने के लिए, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य आयोग नियमों के नियम 17 में निहित प्रावधान प्रासंगिक होंगे जिन्हें यहां उद्धृत किया गया है: -

17. धारा 6. - अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई [अधिसूचना], अन्य कारणों के अलावा, निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के संबंध में रद्द की जा सकती है, अर्थात्, कि-

(क) यह क्षेत्र इस प्रकार की विकास योजना के अंतर्गत है क्योंकि जब यह पूरा हो जाएगा तो समेकन कार्य किसानों के एक वर्ग के लिए असमान हो जाएगा;

(ख) गांव की जोत पहले से ही किसी न किसी कारण से समेकित है और कार्यकालधारक सामान्यतः वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ग) गांव को पक्ष गुटों द्वारा इतना फाड़ दिया गया है कि गांव में उचित चकबंदी की कार्यवाही बहुत मुश्किल हो जाती है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए क्षेत्र की सभी भूमि को एकत्रित करने के बाद क्षेत्र में खेती करने के लिए एक सहकारी समिति का गठन किया गया है।

8. इस न्यायालय ने जसमित सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2016 (131) आरडी 478 में धारा 4 और 6 के साथ-साथ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमों के नियम 17 के तहत अधिसूचना के दायरे पर विचार किया है और माना है कि नियम 17 के प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य नहीं हैं और धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना सशर्त कानून हैं, इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। निर्णय के प्रस्तर-29, 30 और 31 को यहां उद्धृत किया गया है: -

"29. एकमात्र अन्य बिंदु जो विचार के लिए बचा हुआ है, वह यह है कि क्या अधिनियम के नियम 17 में निहित प्रावधान अनिवार्य हैं। मेरे पास 31.03.2014 के फैसले में कई मामलों में, वयस्क मामला जिसमें रिट चकबंदी संख्या-535 वर्ष 2015 था, राजा राम ओझा बनाम चकबंदी आयुक्त और अन्य, पहले से ही इस पहलू पर विचार कर चुके हैं और माना है कि नियम 17 में शुरुआती शब्द हैं: "अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई अधिसूचना को अन्य कारणों के साथ रद्द किया जा सकता है" ऐसे हैं कि नियम 17 में उल्लिखित शर्तों को केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ भी जो केवल उदाहरण है, अनिवार्य नहीं हो सकता है। नियम 17 का शब्द ऐसा नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि ये शर्तें व्यापक या अनिवार्य हैं। इसके अलावा, कृषि और औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड के मामले में खंड पीठ के फैसले ने पहले ही निर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 4 या धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए किसी भी कारण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि है जो अकेले किसी भी परिणाम का है। यदि अधिसूचना जारी करने के लिए



कारण नहीं दिए जाने हैं, तो रिट न्यायालय के लिए इसके कारणों की जांच करना खुला नहीं है। इसलिए, नियम 17 में उल्लिखित शर्तें इस संबंध में निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के लिए केवल दिशानिर्देश हैं और इस कारण से भी, धारा 17 की शर्तों को किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं माना जा सकता है।

30. इसलिए मुझे इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए संदर्भित करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है।

31. तदनुसार और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को गुण-दोष से रहित पाया जाता है और खारिज किया जाता है।

9. दलीप सिंह और अन्य बनाम विक्रम सिंह और अन्य, (2015) 128 आरडी 666 के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि धारा 4 (1) और 6 (1) के तहत अधिसूचना प्रकृति में विधायी है और कोई भी जोत धारक उसे आवंटित भूमि पर किसी भी अधिकार, शीर्षक या ब्याज का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि उस पर कब्जा उसे नहीं दिया गया है।

10. इस न्यायालय ने राजा राम ओझा बनाम चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और अन्य, (2015) 126 आरडी 124 में रिपोर्ट किया है, ने प्रस्तर-21 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

"21. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और ऊपर दिए गए कारणों से, आक्षेपित अधिसूचनाओं को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है जो सशर्त कानून हैं और नीतिगत निर्णय नहीं हैं। सशर्त कानून या किसी भी कानून पर केवल अधिकार ातीत होने के आधार पर, क्षमता की कमी के आधार पर या अनुचितता के आधार पर सवाल उठाया जा सकता है। मेरे समक्ष ऐसा कोई आधार या अनुरोध नहीं किया गया है। उठाए गए तथ्यात्मक मुद्दों कि गांव का एक बहुत छोटा क्षेत्र कृषि कार्यों के अधीन है या इस न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के कारण चकबंदी कार्यों को रद्द कर दिया गया है, यह अभिलेखों करने के लिए पर्याप्त होगा कि ये सभी संबंधित



प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दे हैं जिनकी समेकन कार्यों को रद्द करने से पहले व्यक्तिपरक संतुष्टि की आवश्यकता है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि प्राधिकरण को संतुष्ट किए बिना आक्षेपित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं कि चकबंदी कार्यों को रद्द करना समीचीन था।

11. पूरे तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा जसमीत सिंह (उपरोक्त), दलीप सिंह (उपरोक्त) और राजा राम ओझा (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

मार्च 31, 2026

सी प्रकाश

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)